Website : www.prsuprayagraj.in E-mail ID- coeasua@gmail.com

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज,उ0प्र0

(पूर्ववर्तीः इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly: Allahabad State University)

पत्रांकः प्रो0रा0सि0वि0वि0 / प0नि0का0 / 39 / 2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 12.01.2021 को परीक्षा समिति की आहूत बैठक के बिन्दु 06, 08,12 एवं 13 के परिपेक्ष्य मे लिये गये निर्णय के क्रम में परीक्षा समिति ने प्रत्येक बिन्दु के सन्दर्भ में निम्न प्रकार से निर्णय लिया।

बिन्दु संख्या :–06– महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में स्वयं से अंको को पोस्ट कर देने के अनुचित कार्य हेतु अर्थदण्ड का प्रावधान।

निर्णय :– "समिति ने निर्णय लिया कि ऐसे महाविद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी किया जायेगा एवं उनके जवाब से संतुष्ट न होने पर ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाने से वंचित भी किया जा सकता है एवं अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता है।"

बिन्दु संख्या :–08– प्रायोगिकी / मौखिकी के लिए निर्धारित समय के अन्दर प्रायोगिकी / मौखिकी कराकर अंको का प्रेषण किया जाना। समय व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः लॉगिन खोले जाने पर अर्थदण्ड का प्रावधान किया जाना।

निर्णय :–"समिति ने निर्णय लिया कि निर्धारित समय में प्रायोगिकी / मौखिकी परीक्षा न कराये जाने पर लॉगिन बन्द हो जाने के पश्चात पुनः खुलवाने हेतु प्रति महाविद्यालय रू0 10000 / – अर्थदण्ड आरोपित कर प्रायोगिकी / मौखिकी परीक्षा हेतु लॉगिन खुलवायी जायेगी।"

बिन्दु संख्या :–12– डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शुल्क का निर्धारण किया जाना।

निर्णय :– "समिति ने प्रति पाठ्यक्रम अभिलेख सत्यापन हेतु धनराशि रू0 500 / – निर्धारित किया जो कि मा0 कुलपति महोदय द्वारा शिथिलता दिये जाने के विशेषाधिकार के अधीन निर्णित किया।"

बिन्दु संख्या :–13– बगैर रजिस्ट्रेशन एवं निहित व्यवस्था का पालन किय हुए किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र द्वारा परीक्षा में बैठा दिये जाने पर ऐसे परीक्षा केन्द्र को डिबार कर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का प्रावधान किया जाना।

निर्णय :– "समिति ने चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण से संतुष्ट ने होने पर परीक्षा केन्द्र को डिबार कर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने पर निर्णय लिया।"

समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त से संसुचित होने का कष्ट करें।

डॉ0 (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्राचार्य / प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
3. वैय0 सहायक कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. वैय0 सहायक कुलसचिव / वित्त अधिकारी।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

04/02/21

डॉ0 (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

पताः सी0पी0आई0 परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज–211001 (उ0प्र0), फोनः 0532–2256206

Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 (U.P.) Ph. 0532-2256206